न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :– सुभाष चन्द्र आर.ए.एस..

मैनुअल प्र.सं. : 1/2025
जीसीएमएस : 2025/21

1. इन्द्रबाला पत्नी स्वर्गीय श्री राधेश्याम
2. सुनील कुमार पुत्र स्वर्गीय श्री राधेश्याम
3. आयुष पुत्र स्वर्गीय श्री राधेश्याम
4. गिरदावरी देवी पत्नी श्री रामस्वरूप

} जाति बिश्नोई साकिन 3 एम.एस.डी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

–:प्रार्थीगण

बनाम

1. औमप्रकाश पुत्र श्री बृजलाल जाति नायक साकिन 3 एम.एस.डी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
2. हीरालाल पुत्र श्री बृजलाल जाति नायक साकिन 3 एम.एस.डी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर।

–:अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:– 17.01.2025

उपस्थित अधिवक्ता:–
1. श्री अमित गोदारा प्रार्थी अधि.।
2. श्री गुरबक्श सिंह अप्रार्थी सं. 1–2।

–––निर्णय––– दिनांक 26.12.2025

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना अन्तर्गत धारा 251 क की उपधारा (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 3 एम.एस.डी. तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 68 प.नं. 150/335 में 3.162 है. कमाण्ड मय गैर मुमकिन रास्ता भूमि अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की बहिस्सा बराबर–बराबर खातेदारी भूमि है जिस भूमि के कि.नं. 4/2 में 0.013 है. व 5/2 में 0.013 है. भूमि में रास्ता स्वीकृत है जो स्वीकृतशुद्वा रास्ता कम चौड़ा होने के कारण आवाजाही में परेशानी होती है इसलिए प्रार्थी उक्त भूमि के कि.नं. 4/1 व 5/1 प्रत्येक में 0.013–0.013 है. भूमि में रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है जो रास्ता स्वीकृत फरमाया जावे क्योकि यही रास्ता प्रार्थी के लिए सुविधाजनक एवं सरल है इस रास्ता के अलावा अन्य कोई सुविधाजनक एवं सरल तथा सीधा रास्ता नहीं है तथा इस स्वीकृत किए जाने वाले रास्ता से प्रार्थी के अलावा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 स्वयं को व अन्य सह काश्तकारान को भी अपने रकबा में आवागमन के लिए सुविधा होगी। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाके चक 3 एम.एस.डी. तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 68 प.नं. 150/335 के कि.नं. 4/2 में 0.013 है. व 5/2 में 0.013 है. कुल 0.026 है. में रास्ता स्वीकृत फरमाया जावे रास्ता में आने वाली भूमि के बदले प्रार्थी, अप्रार्थीगण को डी.एल.सी. दर के अनुसार कीमत अदा करने के लिए सहमत है, उक्त स्वीकृत किए जाने वाला रास्ता प्रार्थी के अलावा प्रार्थी के चिपते रकबा के लिए भी उक्त रास्ता की पूर्णतया आवश्यकता है, माननीय न्यायालय कोई राशि जमा करवाने का आदेश देगा तो प्रार्थी जमा न्यायालय करवा देगा।
2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजि. नोटिस तलब किया गया एवं तहसीलदार रायसिंहनगर से मौका रिपोर्ट हेतु पत्र जारी किया गया है। अप्रार्थी सं. 1–2 की ओर से श्री गुरबक्श सिंह अधिवक्ता ने वकालतनामा व जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया। प्रार्थी की खातेदारी भूमि में जाने के लिए पूर्व में चक 3 एम.एस.डी. तहसील रायसिंहनगर के मुरब्बा नं. 68 प.नं. 150/335 के कि.नं. 4 व 5 में [illegible] है. प्रत्येक में गैर मुमकिन रास्ता मन्जूर शुद्वा है जिसकी वह लम्बे समय से सुविधा पूर्वक व सुचारू रूप से

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.01.02 12:25:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

अपना कृषि कार्य कर रहा है इसलिए उसके द्वारा राजस्थान अभिकृति अधिनियम 1955 का अधिनियम संख्या 3 की धारा 251 क उप–धारा (2) के अधीन अनुज्ञा के लिए गलत आवेदन किया है। चक 3 एम.एस.डी. तहसील रायसिंहनगर के मुरब्बा नं. 68 प.नं. 150/335 में 3.162 है. कमाण्ड गैर मुमकिन रास्ता भूमि अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की बहिस्सा बराबर–बराबर खातेदारी भूमि बताई गई है जबकि वास्तव में अप्रार्थी संख्या 1 औमप्रकाश के नाम 1201/3162 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 2 हीरा लाल के नाम से 1/2 हिस्सा के अलावा एक अन्य खातेदार मदनलाल का भी हिस्सा 190/1581 है जो राजस्व रिकार्ड में इसी खाता में दर्ज है। इसी भूमि में कि.नं. 4/2 व 5/2 में प्रत्येक में 0.013 है. गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत है लेकिन यह रास्ता कम चौड़ा ना होकर आवेदक के लिए पर्याप्त है चाहा गया रास्ता एक ही खाता के लिए चाहा गया है इसलिए आवाजाही में कोई परेशानी नही है आवेदक कि.नं. 4/1 व 5/1 में प्रत्येक में 0.013 है. भूमि रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है जो कि पूर्व में ही स्वीकृत शुद्वा है जिसे ओर चौड़ा करने की आवश्यकता नहीं है शेष तथ्य प्रार्थना–पत्र को बल देने के लिए झूठे दर्ज किये कराये गये है यह रास्ता पूर्व में ही स्वीकृत है भूमि के बदले प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को डी.एल.सी. दर के अनुसार कीमत अदा करने की सहमति दी गई है जो स्वीकार नहीं है। प्रार्थीगण को अपने रकबा में जाने के लिये पूर्व में ही रास्ता स्वीकृत है इसलिए वह ओर रास्ता स्वीकृत करवाने अधिकारी नहीं है। यदि यह रास्ता मन्जूर कर दिया जाता है तो हम अप्रार्थीगण की जोत और कम हो जायेगी जिससे हम अप्रार्थीगण को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा और हम न्याय से वंचित हो जायेगे। अतः जवाब आवेदन–पत्र अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की ओर से मय शपथ–पत्र पेश कर विन्रम निवेदन है कि प्रार्थी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 215 क राजस्थान अभिकृति अधिनियम खारिज फरमाया जावे।

3. तहसीलदार रायसिंहनगर ने अपने पत्र क्रमांकः राजस्व/2025/506 दिनांक 10.03.2025 से मौका रिपोर्ट से अवगत करवाया कि प्रार्थी के चक 3 एमएसडी प.नं.150/335 मु.नं. 68 के कि.नं. 1 ता 3, 8–9 कुल 1.265 है. नहरी भूमि राधेश्याम पुत्र रामस्वरूप जाति बिश्नोई साकिन खातेदार दर्ज रिकार्ड है। अप्रार्थीगण के नाम चक 3 एमएसडी के प.नं. 150/335 मु.नं. 68 के कि.नं. 4/1/0.240, 4/2/0.13, गै. मु. रास्ता, 5/1/0.240, 5/2/0.013 गै.मु. रास्ता 6–7/0.506, 13/2/0.126, 14 ता 18, 23 ता 25 कुल 3.162 है. नहरी मय गै.मु. रास्ता भूमि ओमप्रकाश–हीरालाल पि0 बृजलाल दर्ज है परन्तु जरिये बैयनामा द्वारा औमप्रकश ने अपने हिस्सा में से 0.380 है. भूमि मदलाल पुत्र लालचन्द्र जाति नायक को बेचान की है जिसका इन्तकाल का नोट जमाबंदी में पकियाधीन है प्रार्थी ने अपने रकबे में आवागमन हेतु मु.नं. 68 के कि.नं. 4/1, 5/1 प्रत्येक में 0.013 है. रास्ता की मागं की है प्रार्थीगण को अपने रकबे में आवागमन हेतु चक 3 एमएसडी के प.नं. 150/335 मु.नं. 68 के कि.नं. 4/2, 5/2 प्रत्येक में 0.013 है0 पूर्व में स्वीकृत रास्ता के पास–पास चिपते कि.नं. 4/1, 5/1 प्रत्येक में 0.013 में कुल 0.026 है. रास्ता को प्रस्तावित किया है उक्त प्रस्तावित रास्ता के बदले में प्रार्थी राधेश्याम (मृतक) की तरफ से वादी के पिता व पुत्र ने अप्रार्थीगण को चिपते रकबे के कि.नं. 8 में से 0.026 है. भूमि देने हेतु सहमति दी है उक्त प्रस्तावित रास्ता स्वीकृतशुद्वा रास्ता से अन्य निकटतम रास्ता नहीं है उक्त प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित है।

4. वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों को दोहराया तथा इसी के साथ ... हाजिर होकर प्रस्तावित रास्ता को चौड़ा करने हेतु अपनी स... अर्द अहकाम पर हस्ताक्षर किये। प्रार्थी एवं अप्रार्थी... रास्ते को स्वीकृत करने हेतु सहमति दी... तहसीलदार राय...र ने भी मौका रिपोर्ट मे प्रस्तावित रास्ता को स्वीकृत... है और स्वीकृत करने की अनुशषां क... की सहमति एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.01.02 12:25:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

तहसीलदार रायसिंहनगर की अनुशषां के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 आरटीएक्ट न्यायाहित में स्वीकार किया जाता हैं।

–:आदेशः–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की सहमति के आधार पर स्वीकार किया जाकर चक 3 एमएसडी के प.नं. 150/335 मु.नं. 68 के कि.नं. 4/2, 5/2 प्रत्येक में 0.013 है0 पूर्व में स्वीकृत रास्ता के पास–पास चिपते कि.नं. 4/1, 5/1 प्रत्येक में 0.013 में कुल 0.026 है. को **गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। इस रास्ते मे आने वाली भूमि के बदले अप्रार्थीगण को प्रार्थी कि.नं. 8 में 0.026है. भूमि देगा। रास्ते के बदले भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के पश्चात रास्ता चालू करवाया जावे।** निर्णय की प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

निर्णय आज दिनांक 29.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.01.02 12:25:35 IST
Reason: SelfAttested

SCAN AnyScanner